हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामिल में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा प्रा. पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 पेश है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी ने किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की। उक्त प्रा. पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया। प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश लिखा गया। पत्रावली वास्ते अंतिम निर्णय हेतु दिनाँक 06/02/24 को पेश हो।	
06/02/24 उभय पक्ष उपस्थित। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा बँटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है जो पत्रावली के साथ संलग्न है। साथ ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का बँटवारा प्रस्ताव से संबंधित कोई मतभेद नहीं है तथा जिसके मद्देनजर उक्त प्रकरण में निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित है। प्रकरण का अवलोकन कर निर्णय व अंतिम डिक्री जारी कर पृथक से लिखा गया एवं निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 06/02/24	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

राजस्व वाद पत्र संख्या 75/2023

राजस्व विविध प्रा0पत्र संख्या /2024

देबू उर्फ देवली बनाम श्रीमती भोली व अन्य

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1–श्री विजय सिंह रावत अभिभाषक वादी

2–श्री अनुज माथुर अभिभाषक प्रतिवादी

आदेश

दिनांक 05.02.2024

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी/प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसकी प्रति प्रतिवादी अभिभाषक को दिनांक 01.02.2024 ही को दी गई। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी/वादी अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि उक्त वाद में प्रतिवादी पक्षकार संख्या 29 लगायत 33 के पिता का नाम सवहन एवं लेखनीय त्रुटिवशः उगम सिंह अंकित हो गया है, जबकि उक्त प्रतिवादी पक्षकारान् संख्या 29 लगायत 33 के पिता का वास्तविक नाम भैरू है, जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 329 में दर्ज खातेदारन् क्रमशः 3 कमला पुत्री भैरू, 13 नारायण पुत्र भैरू 17 बिरदा पुत्र भैरू 30 सुखदेव उर्फ सुक्खा पुत्र भैरू एवं 33 हरि पुत्र भैरू सही रूप से दर्ज किया गया है। प्रस्तुत वाद उनवाद/शीर्षक में अंकित प्रतिवादी संख्या 29 लगायत 33 के पिता वलदियत उगम सिंह के स्थान पर सहीं एवं वास्तविक नाम भैरू अंकित नहीं किया गया तो माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री में भी त्रुटिपूर्वक गलत वलदियत उगम सिंह उल्लेखित हो जायेगा, कि जिससे प्रतिवादी संख्या 29 लगायत 33 के पिता का नाम उगम सिंह के स्थान पर भैरू लाल स्याही से संशोधित किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 29 लगायत 33 के पिता वलदियत सही एवं वास्तविक रूप से भैरू अंकित किये जाने से किसी भी पक्षकारान् के हित प्रभावित नहीं होगें तथा ना ही वाद की परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, साथ ही उपरोक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा सही रूप से अंतिम डिक्री पारित की जा सकेगी। साथ ही नामांतरण स्वीकृति आदेश 84 दिनांक 19.09.2023 शुद्विपत्र पेश किया। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रतिवादी/अप्रार्थी अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है, ना ही उनके द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज की गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनने तथा रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन के उपरान्त यह स्थिति स्पष्ट है कि वाद मे अंकित प्रतिवादी पक्षकार संख्या 29 लगायत 33 के पिता का नाम सवहन एवं लेखनीय त्रुटिवशः उगम सिंह अंकित हो गया है, जबकि उक्त प्रतिवादी पक्षकारान् संख्या 29 लगायत 33 के पिता का वास्तविक नाम भैरू है, जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 329 में दर्ज खातेदारन् क्रमशः 3 कमला पुत्री भैरू, 13 नारायण पुत्र भैरू 17 बिरदा पुत्र भैरू 30 सुखदेव उर्फ सुक्खा पुत्र भैरू एवं 33 हरि पुत्र भैरू सही रूप से दर्ज किया गया है। चूंकि प्रार्थना पत्र जिस अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है वह मात्र लिपिकीय त्रुटि है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद में पक्षकार 29 नारायणसिंह पुत्र उगम सिंह 30 बिरदा पुत्र भैरू 31 सुखदेव उर्फ सुख्खा पुत्र उगम सिंह 33 कमला पुत्री उगम सिंह की जगह पक्षकार 29 नारायणसिंह पुत्र भैरू 30 बिरदा पुत्र भैरू 31 सुखदेव उर्फ सुख्खा पुत्र भैरू 33 कमला पुत्री भैरू के संशोधन लाल स्याही से अंकित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाते है।

आदेश 05.02.2024 आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु0)

अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुददमे इब्दते
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
राजस्व वाद संख्या 75/2023 जिला अजमेर

श्रीमति देबू उर्फ देवली पुत्री स्व0 श्री हेम सिंह एवं पत्नि श्री भंवरलाल जी जाति रावत निवासी हाल ग्राम भवानीखेड़ा नरवन तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम श्री सोहन सिंह पुत्र श्री सूरता जी जाति रावत निवासी ग्राम बड़ल्या तहसील व जिला अजमेर।

.....वादिया

बनाम

1. श्रीमती भोली पत्नि श्री हेम सिंह
2. केसर सिंह पुत्र स्व0 श्री हेम सिंह
3. पदम सिंह पुत्र श्री हेम सिंह
4. केसी पुत्री श्री हेम सिंह **(फौत)**
5. श्रीमति शारदा पत्नि श्री कालू सिंह
6. पूजा पुत्री श्री कालू सिंह
7. दिनेश पुत्र कालू सिंह जाति रावत नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति शारदा
8. विमला पुत्री श्री कालू सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति शारदा
9. श्रीमति अमरी पत्नि श्री भंवरसिंह
10. केली पुत्री श्री भंवर सिंह
11. कान सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह
12. राजू पुत्र श्री भंवर सिंह
13. मल्ला सिंह पुत्र श्री खींव सिंह
14. गुमान सिंह पुत्र श्री खींव सिंह
15. हणगारी उर्फ श्रंगारी पुत्री खींव सिंह
16. श्रीमति धन्नी पत्नि श्री नंगा सिंह
17. लक्षमण सिंह पुत्र श्री नंगा सिंह
18. श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री लक्षमण सिंह
    (समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम **नेडलिया** तहसील पुष्कर जिला अजमेर)
19. मोटा सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
20. मोहन सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
21. मखन सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
22. प्रभू सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
23. रूपी पुत्री उगम सिंह
24. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि श्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल
25. मन्ना सिंह पुत्र श्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल
26. ओमसिंह पुत्र श्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल
27. धारा सिंह पुत्र श्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल
28. गुलाबी पुत्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल
    (समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम **देवनगर** तहसील पुष्कर जिला अजमेर)
29. नारायण सिंह पुत्र श्री भैंरू
30. बिरदा पुत्र श्री भैंरू
31. सुखदेव उर्फ सुख्खा पुत्र श्री भैंरू
32. हरि पुत्र श्री उगम भैंरू
33. कमला पुत्री श्री भैंरू
    (समस्त जाति रावत निवासीगण **ग्राम होंकरा** तहसील पुष्कर जिला अजमेर)
34. श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, यूको बैंक शाखा माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर।
35. श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा पुष्कर तहसील व जिला अजमेर।
36. श्रीमान् उप–पंजीयक महोदय (प्रथम) अजमेर कार्यालय जयपुर रोड़, अजमेर
37. श्रीमान् उप–पंजीयक महोदय (द्वितीय) अजमेर कार्यालय जयपुर रोड़, अजमेर।
38. सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, अजमेर कार्यालय डाकबंगला परिसर, अजमेर।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

.....प्रतिवादीगण

Scanned with OKEN Scanner

:–

से अभिभाषक :– विजय सिंह रावत उपस्थित।

की ओर से अभिभाषक :– अनुज माथुर उपस्थित।

पीठासीन अधिकारी:– सुश्री मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 व 188 राज0 का0 अधि01955

राजस्व वाद संख्या 75/2023 जिला अजमेर

निर्णय दिनांक :– 06.02.2024

वादीपक्ष अभिभाषक असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 05.02.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री मोनिका जाखड़ आरएएस के समक्ष अन्तिम डिकी दी जाती है कि:– वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम माकडवाली के खाता संख्या नया 329 व पुराना 329 के खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.74 है. किस्म बारानी–1 ,खसरा नंबर 1312/4580 रकबा 0.02 है. किस्म बारानी–1 खसरा नंबर 1403 रकबा 1.62 है. किस्म बारानी–1, खसरा नंबर 1413 रकबा 2.13 है किस्म बारानी–1, 1414/3976 रकबा 0.06 बारानी–1 खसरा नंबर 979/4037 रकबा 0.10 है. किस्म बारानी–1, खसरा नंबर 980 रकबा 0.14 है किस्म बारानी–1, खसरा नंबर 981 रकबा 1.07 है. किस्म बारानी–1 में हक हिस्सा वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 यानि प्रत्येक का 1/120 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 लगायत 8 का 1/480 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 9 लगायत 12 का 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 13 एवं 14 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 15 का 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 16 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 17 का 1/80 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 18 का 1/20 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 19 लगायत 23 का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 24 लगायत 33 का 1/70 हिस्सेनुसार वर्तमान जमाबंदी में संयुक्त खातेदारी एवं सह–काश्तकारी में दर्ज चली आ रही है, कि जिसमें प्रतिवादी सं0 4 केसी पुत्री स0 श्री हेमसिंह अविवाहित फौत हो चुकी है, जिसके 1/120 हिस्से के विधिक वारिसान् वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3, व 5 से 8 है, के मध्य तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 11.01.2024 को प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर दर्शित रंगों अनुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा इसी हिस्से आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मोनिका जाखड़ (मु०), अजमेर
सहायक कलक्टर
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3– प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4– रूपये पर प्लीडर की फीस 5– साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 6– कमीश्नर की फीस 7– आदेशिका की तामिल 8– मुतफरिक 9– मिजान		1– शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2– अर्जी के लिये स्टाम्प 3– प्लीडर की फीस 4–. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 5– आदेशिका की तामिल 6– कमीश्नर की फीस	

मोनिका जाखड़ (मु०), अजमेर
सहायक कलक्टर
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय श्रीमान् सहायक जिलाधीश (मुख्यालय), अजमेर

राजस्व वाद पत्र (टी.ए.) सं0. 75/2023 जिला अजमेर

श्रीमती देबू उर्फ देवली पुत्री स्व0 श्री हेम सिंह एवं पत्नि श्री भंवरलाल जी जाति रावत निवासी हाल ग्राम भवानीखेड़ा नरवन तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम श्री सोहन सिंह पुत्र श्री सूरता जी जाति रावत निवासी ग्राम बड़ल्या तहसील व जिला अजमेर।

.....वादिया

बनाम

1. श्रीमती भोली पत्नि श्री हेम सिंह
2. केसर सिंह पुत्र स्व0 श्री हेम सिंह
3. पदम सिंह पुत्र श्री हेम सिंह
4. केसी पुत्री श्री हेम सिंह **(फौत)**
5. श्रीमति शारदा पत्नि श्री कालू सिंह
6. पूजा पुत्री श्री कालू सिंह
7. दिनेश पुत्र कालू सिंह जाति रावत नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति शारदा
8. विमला पुत्री श्री कालू सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति शारदा
9. श्रीमति अमरी पत्नि श्री भंवरसिंह
10. केली पुत्री श्री भंवर सिंह
11. कान सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह
12. राजू पुत्र श्री भंवर सिंह
13. मल्ला सिंह पुत्र श्री खींव सिंह
14. गुमान सिंह पुत्र श्री खींव सिंह
15. हणगारी उर्फ श्रंगारी पुत्री खींव सिंह
16. श्रीमति धन्नी पत्नि श्री नंगा सिंह
17. लक्षमण सिंह पुत्र श्री नंगा सिंह
18. श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री लक्षमण सिंह

    (समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम **नेडलिया** तहसील पुष्कर जिला अजमेर)
19. मोटा सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
20. मोहन सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
21. मखन सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
22. प्रभू सिंह पुत्र श्री उगम सिंह
23. रूपी पुत्री उगम सिंह
24. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि श्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल
25. मन्ना सिंह पुत्र श्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल
26. ओमसिंह पुत्र श्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल
27. धारा सिंह पुत्र श्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल
28. गुलाबी पुत्री नानू सिंह उर्फ सूरजमल

    (समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम **देवनगर** तहसील पुष्कर जिला अजमेर)
29. नारायण सिंह पुत्र श्री भैंरू
30. बिरदा पुत्र श्री भैंरू
31. सुखदेव उर्फ सुख्खा पुत्र श्री भैंरू
32. हरि पुत्र श्री भैंरू

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

कमला पुत्री श्री भैरू

(समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम होंकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर)

34. श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, यूको बैंक शाखा माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर।
35. श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, आई.सी.आई.सी. बैंक शाखा पुष्कर तहसील व जिला अजमेर।
36. श्रीमान् उप–पंजीयक महोदय (प्रथम) अजमेर कार्यालय जयपुर रोड़, अजमेर
37. श्रीमान् उप–पंजीयक महोदय (द्वितीय) अजमेर कार्यालय जयुपर रोड़, अजमेर।
38. सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, अजमेर कार्यालय डाकबंगला परिसर, अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

समक्ष

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

उपस्थित अभिभाषक :–

वादीगण की ओर से अभिभाषक :– विजय सिंह रावत उपस्थित।

प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक :– अनुज माथुर उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 06.02.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 33 की पुश्तैनी–पैत्रिक खातेदारी एवं सह–काश्तकारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम माकड़वाली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है, कि जिसका विवरण ब–मुताबिक वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073–76 (वर्ष 2019) के अनुसार इस प्रकार से है :–

खाता सं0	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
329	1311	0.74 है0	बारानी–1
	1312/4580	0.02 है0	बारानी–1
	1403	1.62 है0	बारानी–1
	1412/3977	0.11 है0	गै.मु.नाला
	1413	2.13 है0	बारानी–1
	1414/3976	0.06 है0	बारानी–1
	1435/4579	0.14 है0	गै.मु. रास्ता
	979/4037	0.10 है0	बारानी–1
	980	0.14 है0	बारानी–1
	981	1.07 है0	बारानी–1
कुल किता 10 रकबा 6.13 है0			

उपरोक्त वर्णित आराजी कि जिमें वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 यानि प्रत्येक का 1/120 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 लगायत 8 का 1/480 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 9 लगायत 12 का 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 13 एवं 14 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 15 का 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 16 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 17 का 1/80 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 18 का 1/20 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 19 लगायत 23 का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 24 लगायत 33 का 1/70 हिस्सेनुसार वर्तमान जमाबंदी में संयुक्त खातेदारी एवं सह–काश्तकारी में दर्ज चली आ रही है, कि जिसमें प्रतिवादी सं0 4 केसी पुत्री स0 श्री हेमसिंह अविवाहित फौत हो चुकी है, जिसके 1/120 हिस्से के विधिक वारिसान् वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 8 है, कि जिसके समर्थन में वर्तमान् जमाबंदी संवत् 2073–76 एवं वर्तमान् राजस्व नक्शा–ट्रेस वादपत्र के साथ संलग्न है।

वादग्रस्त आराजीयात् का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज दिवस तक किसी प्रकार का कोई विधिवत् रूप से न्यायिक बंदवारा नहीं हुआ है, कि जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में आये दिन वादिया के संयुक्त कब्जे–काश्त एवं उसके हक व हिस्से की सीमाओं को लेकर वादिया के साथ अवैधानिक रूप से झगड़ा फसाद एवं उसके भौतिक कब्जे काश्त में अनावश्यक रूप से दखल एवं व्यवधान उत्पन्न कर बेखल करने पर आमादा है, साथ ही प्रतिवादी सं0 1 लगायत 18 द्वारा उनके अविभाजित हक व हिस्से को अन्यत्र हस्तान्तरण एवं बय–बेचान करने हेतु वादिया को भी अवैधानिक रूप से उसके उक्त वर्णित हिस्से का बेचान एवं हस्तान्तरण अन्यत्र कराये जाने वर सक्त आमादा हो रहे है, कि जिसका प्रतिवादी सं0 1 लगायत 18 को किसी प्रकार का कोई विधिक हक अथवा अधिकार प्राप्त नहीं है, इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 16 लगायत 18 द्वारा अपने हिस्से का रहन प्रतिवादी सं0 34 के पक्ष में बिना विधिवत् बंटवारा कराये ही कर दिया है, कि जिससे वादिया का संयुक्त रूप से मौके पर शान्तिपूर्वक काश्त किया जाना अत्यन्त ही दुर्भर हो गया है, यह कि वादिया जो कि ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला होने तथा उसका ससुराल ग्राम भवनीखेड़ा नरवर में होने के कारण उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात् का बिना विधिवत् रूप से न्यायिक बंटवारा कराये एवं बिना भू–परिवर्तन कराये ही वादग्रस्त आराजी के आकार–स्वरूप में परिवर्तन कर मौके पर पक्का नव–निर्माण कार्य कर अपनी–अपनी सीमाओं पर पक्की दीवार इत्यादि निर्मित करने पर आमादा है, कि जिसका प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात् का बिना विधिक बंटवारा कराये बगैर किसी प्रकार का कोई विधिक हक अथवा अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादिया को यह हक एवं अधिकार प्राप्त है कि वह बरोक–टोक एवं बिना किसी दखल के उसके भौतिक हक व हिस्से पर काश्त एवं उपयोग–उपभोग आदि में किसी प्रकार का कोई दखल अथवा व्यवधान उत्पन्न करने का हक अथवा अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का विधिवत् रूप से न्यायिक बंटवारा किया जाकर वादिया के शान्तिपूर्ण कब्जे–काश्त एवं उसके उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार को कोई दखल अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं किये जाने तथा वादग्रस्त भूमि के मौके एवं आकार–स्वरूप में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना कानूनन् आवश्यक है, कि जिसे हेतु यह वाद प्रस्तुत किया।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 18 एवं अन्य द्वारा आपसी मिली–भगती कर वादग्रस्त आराजी का बिना न्यायिक बंटवारा कराये ही वादग्रस्त आराजी के मौके पर भौतिक रूप से काबिज वादिया के संयुक्त हिस्से पर जबरन् अपना हक एवं अधिकार जताकर रंजिशवशः वादिया को उसके भौतिक कब्जे–काश्त एवं खातेदारी हकों एवं अधिकारों से महरूम करने की नीयत से प्रतिवादीगण द्वारा अविभाजित हक व हिस्से को अन्यत्र बय–बेचान एवं हस्तान्तरण करने पर जोर–दबाव बनाकर वादिया को मौके से बेदखल करने पर आमादा है, कि जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं न्यायोचित्त है, कि जिस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। यह कि वादिया को सर्वप्रथम वादकारण दिनांक 17.05.2023 को उत्पन्न हुआ कि जब प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादिया के हक व हिस्से का हस्तान्तण अन्यत्र कराये जाने हेतु जोर–दबाव डाला, तथा वादिया के मना करने पर उसके भौतिक हक व हिस्से पर अवैधानिक रूप से मौके पर नव–निर्माण एवं पक्की दीवार इत्यादि का निर्माण करने एवं वादिया के मना करने पर उसके संयुक्त हक–हिस्से पर जबरन् पक्का निर्माण करयो जाकर बेदखल करने हेतु झगड़ा–फसाद एवं धमकियां देने पर उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात् प्रतिवादी सं0 1 लगायत 18 द्वारा उनके पक्ष में वादग्रस्त आराजी का हक–त्याग कर हस्तान्तरण किये जाने की धमकी दी गई, साथ ही वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अन्य अजनबी व्यक्तियों को बेचान एवं हस्तान्तरण किये जाने हेतु मौके पर पक्की दीवार का निर्माण कराये जाकर सीमाएं चिन्हित करने पर आमादा हो गये, कि तब से आज दिवस तक वादिया को प्रतिवादीगण के विरूद्व

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में प्रतिदिन वादकारण उत्पन्न होता चला आ रहा है। अंत में वाद स्वीकार किया जाकर वाद को डिक्री किये जाने का निवदेन किया।

उक्त आशय का वाद पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर हाजा न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र को दिनांक 28.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 33 की ओर से इकबाली जवाब दावा दिनांक 21.09.2023 को प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 व 02 विवादित ना होकर स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 03 में यह स्वीकार है कि वाद ग्रस्त आराजी का आज दिवस तक विधिवत रूप से न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है परंतु उक्त चरण में यह कहना सरासर गलत है कि उत्तर कर्त्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के कब्जे काश्त एवं उसके हक अधिकारों को लेकर कोई झगडा फसाद किया जाता हो या अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न किया जाता हो तो उपरोक्त कथन अस्वीकार है।

वाद पत्र की चरण संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 05 के अनुसार विधिवत न्यायिक बंटवारा होने से कोई आपत्ति नहीं है। वाद पत्र की चरण संख्या 06 गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 07 विधिक है। वाद पत्र की चरण संख्या 08 में वादिया के हक अधिकार में कोई दखलदांजी नहीं की जा रही है व ना ही बेचने का प्रयास किया जा रहा है। वाद पत्र की चरण संख्या 09 गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 10,11 विधिक होने से जबाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण द्वारा दिनांक 15.12.2023 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वाद को प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया। उभय पक्ष के निवदेन पर पक्षकारान् को सुना गया। अतः ग्राम माकडवाली के आराजी खाता संख्या नया 329 व पुराना 329 के खसरा नम्बर 1311 रकबा 0.74 है. किस्म बारानी–1 ,खसरा नंबर 1312/4580 रकबा 0.02 है. किस्म बारानी–1 खसरा नंबर 1403 रकबा 1.62 है. किस्म बारानी–1, खसरा नंबर 1413 रकबा 2.13 है किस्म बारानी–1, 1414/3976 रकबा 0.06 बारानी–1 खसरा नंबर 979/4037 रकबा 0.10 है. किस्म बारानी–1, खसरा नंबर 980 रकबा 0.14 है किस्म बारानी–1, खसरा नंबर 981 रकबा 1.07 है. किस्म बारानी–1 में हक हिस्सा वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 यानि प्रत्येक का 1/120 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 लगायत 8 का 1/480 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 9 लगायत 12 का 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 13 एवं 14 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 15 का 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 16 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 17 का 1/80 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 18 का 1/20 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 19 लगायत 23 का 1/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 24 लगायत 33 का 1/70 हिस्सेनुसार वर्तमान जमाबंदी में संयुक्त खातेदारी एवं सह–काश्तकारी में दर्ज चली आ रही है, कि जिसमें प्रतिवादी सं0 4 केसी पुत्री स0 श्री हेमसिंह अविवाहित फौत हो चुकी है, जिसके 1/120 हिस्से के विधिक वारिसान् वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3, व 5 से 8 है, जिसका विभाजन प्रस्ताव वर्तमान जमाबंदी मे समाहित किया जा चुका है, जिसके अनुसार उक्त मृतक श्रीमती केसी पुत्री हेमसिंह के विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3, व 5 से 8 के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी प्रदत की जा चुकी है, के मध्य बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर बंटवारा किये जाने के आदेश दिनांक 15.12.2023 को प्रदान किये गये इस प्रकार से हाजा न्यायालय द्वारा वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् प्रस्तुत बंटवारे एंव अस्थाई निषेधाज्ञा के अज्ञाप्ति हेतु उक्त राजस्व वाद को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गए, उक्त अनुक्रम मे तहसीलदार, अजमेर को आदेश प्रदान किये गये हैं कि राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशों (नियम 18 से 20) की पालना कराते हुए किस्म, मूल्य व लगाने के आधार पर उभय पक्ष की मौजूदगी में भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव में नक्शा भिन्न भिन्न रंगों का दर्शाते हुऐ न्यायालय में 15 दिन में प्रस्तुत करें।

उक्त आदेश की पालना मे सम्बन्धित तहसीलदार अजमेर द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.01.2024 को वादग्रस्त आराजीयात बाबत् विभाजन प्रस्ताव पृथक् पृथक् रंगो से

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

कर नक्शे सहित मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जो कि दिनांक 15.01.2024 को शामिल मिसल की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव इस प्रकार है:–

क्र0सं0	नाम खातेदार	प्रस्तावित ख0न0	प्रस्तावित रकबा	किस्म	वि0वि0
1	धन्नी पत्नि नंगासिंह हि. 4561/8210 लक्ष्मणसिंह पुत्र नंगासिंह हि. 912/8210 सीतादेवी पत्नि लक्ष्मण सिंह हि. 2737/8210 सर्व जाति रावत सा0खाते हाल ग्राम नेडलिया तह0 पुष्कर खातेदार राहिन जमा अनुसार	1414/3976 1413/01 1311/03 1403/01	0.0600 0.2685 0.0400 0.4525 ——— 0.8210 ———	बा01 बा01 बा01 बा01 बा01	गहरे हरे रंग से दर्शित है।
2	शारदा पत्नि कालूसिंह, पूजा, विमला नाबालिक दिनेश पि0 कालूसिंह जाति रावत सा0देह हाल नेडलिया खातेदार बा.हि.ण.	1413/04 1311/04 1403/02	0.0219 0.0035 0.0294 ——— 0.0548 ———	बा01 बा01 बा01 बा01	गुलाबी रंग से दर्शित है।
3	देबू पुत्री हेमसिंह जाति रावत सा0देह हाल नेडलिया खातेदार	1413/03 1311/05 1403/03	0.0219 0.0050 0.0278 ——— 0.0547 ———	बा01 बा01 बा01 बा01	नीले रंग से दर्शित है।
4	अमरी पत्नि भंवरसिंह, केली, कानसिंह, राजू पिता भंवरसिंह हि0 2737/54734 शान्ति देवी पत्नि नानू सिंह उर्फ सूरजमल, ओम सिंह, धारासिंह, मन्ना सिंह, गुलाबी पत्नी नानू सिंह उर्फ सूरजमल हि0 3910/54734 प्रभु सिंह, मख्खन सिंह, मोश सिंह, मोहन सिंह, रूपी पत्नि उगम सिंह, हि0 19548/54734 कमला, नारायण, सुखदेव, बिरदा, हरि पिता भैंरू हि0 3909/54734, भोली पत्नी हेम सिंह, केसर सिंह, पदम सिंह पिता हेम सिंह हि0 1641/54734, गुमान सिंह, मल्ला सिंह पिता खींव सिंह हि0 5474/54734 हणगाडी उर्फ श्रंगारी पुत्री खींव सिंह जाति सर्व जाति रावत सा0देह रहन बदस्तूर जमा हि0 8210/54734	1312/4580 980 981 979/4037 1311/1 1311/06 1403/04 1413/02 ——— किता 08	0.02 0.14 1.07 0.10 0.2334 0.0515 1.1103 1.8177 ——— 4.5429 ———	बा01 बा01 बा01 बा01 बा01 बा01 बा01 बा01 बा01	केसरिया रंग से दर्शित है।
5	शामलाती खाता हि0 बदस्तूर	1311/02	0.4066	बा01	हल्का हरे रंग से दर्शित है।

वादी अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 29 लगायत 33 के पिता का नाम सहवन से /लिपिकीय त्रुटिवश उगम सिंह अंकित हो गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 29 लगायत 33 के पिता का वास्तविक नाम भैंरू है जिसे दुरूस्त किया जावे। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी/वादी को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 29 लगायत 33 के

Scanned with OKEN Scanner

...त उगम सिंह के स्थान पर भैंरू सिंह करना चाहते है चूंकि उक्त त्रुटि मानवीय/लिपीकीय त्रुटि है तथा वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसमे उक्त त्रुटि को राजस्व कर्मचारी द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा पुनः दुरूस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे न्यायहित मे प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सख्या 29 लगायत 33 की वल्दीयत उगम सिंह के स्थान पर भैरू किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

उक्त पत्रावली बाबत उभय पक्षकार द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तावित कुरेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) के अनुसार बंटवारे किये जाने का निवेदन किया जाकर उक्त बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) बाबत् किसी भी प्रकार का उज्र, एतराज अथवा आपत्ति प्रकट नहीं कर अपितु पूर्ण सहमति जाहिर की है। चूंकि हाजा न्यायालय द्वारा आराजियात बाबत् दिनांक 15.12.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है तथा सम्बन्धित तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 11.01.2024 को बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है, इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत् सम्बन्धित तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तावित कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 11.01.2024 (उपरोक्तानुसार) के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारे की अंतिम आज्ञप्ति जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीयात बाबत बंटवारे मे आई आराजीयात बाबत एक दूसरे के हिस्से मे किसी प्रकार की दखलदांजी एवं मदाखलत उत्पन्न नही करने हेतु पांबद किया जाता है। उक्त आशय की अंतिम डिक्री आज दिनांक 06.02.2024 को जारी की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner